

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 दिसम्बर 2005 – अग्रहायण 14, शक 1927

## छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग सिविल लाईन, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2005

क्रमांक 15/छ.रा.वि.नि.आ./2005, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 सहपठित धारा 181 की उपधारा (2) की कंडिका (ZO) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष इस अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अन्तिम आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया नियत करने के लिए, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है,—

### छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम 2005

#### 1. संक्षिप्त नाम, परिसीमा तथा प्रारंभ

(1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम 2005 कहे जायेंगे।

(2) ये विनियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा।

(3) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

#### 2. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हों

(a) “अधिनियम” से अभिप्रेत विद्युत अधिनियम 2003 (क्र.36 वर्ष 2003)

(b) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, वह प्राधिकारी जो केन्द्र शासन द्वारा अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (1) सहपठित धारा 176 की उपधारा 2 की कंडिका (u) के अंतर्गत विहित की जावे,

(c) "आयोग" से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग,

(d) "माह" से अभिप्रेत केलेण्डर माह/देयक के उद्देश्य से दो निरंतर मीटर रीडिंग के मध्य लगभग 30 दिवस की अवधि, जैसी भी स्थिति हो,

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जिन्हें यहां विशिष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित किया गया है का अर्थ वही होगा जो उन्हें अधिनियम में प्रदत्त है। अन्य अभिव्यक्तियाँ जिनका प्रयोग यहां किया गया है किन्तु जो विशिष्ट रूप से इन विनियमों या अधिनियमों में परिभाषित नहीं है किन्तु राज्य के विद्युत उद्योग हेतु प्रयुक्त संसद द्वारा पारित किसी अन्य विधि में परिभाषित हैं, यथाप्रयुक्त होगी। उपर्युक्त के अधीन रहते हुए वे अभिव्यक्तियाँ जो यहां उपयोग की गई हों किन्तु न तो इन विनियमों में या अधिनियम में परिभाषित की गई हों न ही संसद द्वारा पारित किसी विधि में, वह अर्थ रखेंगी जो सामान्यतः विद्युत प्रदाय उद्योग में रखी जाती हों।

### 3. अपील का प्रस्तुतीकरण

(1) अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से 30 दिवस की अवधि में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) अपील इन विनियमों की अनुसूची में नियत प्रारूप में की जावेगी।

(3) अपील के साथ निम्न शुल्क देय होगा

निर्धारित राशि का 1%, न्यूनतम 500/- तथा अधिकतम 10000/- रु के अध्यक्षीन।

(4) शुल्क इस प्रकार से देय होगा जैसा कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जावे।

(5) अंतिम निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई अपील तब तक नहीं सुनी जायेगी, जब तक कि अंतिम निर्धारित राशि के एक तिहाई के बराबर राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष जमा नहीं की जाती और इसका दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ संलग्न नहीं किया जाता।

(6) यदि निर्धारक अधिकारी द्वारा पक्षकारों की सहमति से कोई आदेश किया जाता है, तो ऐसे आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील नहीं की जा सकेगी।

#### 4. अपील का निराकरण

(1) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् उसका निराकरण कर समुचित आदेश पारित करेगा और उसकी प्रति निर्धारक अधिकारी एवं अपीलार्थी को भेजेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

#### 5. भुगतान करने में चूक

जब कोई व्यक्ति, निर्धारित राशि के भुगतान में चूक करे, तब वह निर्धारण आदेश के दिनांक से 30 दिन बीत जाने पर, निर्धारित राशि के अतिरिक्त 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी होगा, जिसकी गणना प्रत्येक छः माह में की जायेगी।

#### 6. विविध

(1) विद्युत अधिनियम 2003 एवं इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन आयोग समय-समय पर इन विनियमों के क्रियान्वयन तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में आदेश जारी कर सकेगा तथा निर्देश प्रसारित कर सकेगा।

(2) आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी प्रावधानों को बढ़ा सकेगा, परिवर्तित, रूपांतरित, परिष्कृत या संशोधित कर सकेगा।

टीप :- इस अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया विनियम, 2005 के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर दसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(एन.के. रूपवानी)  
सचिव

**अनुसूची**  
**अपील का प्रारूप (विनियम 3(2))**

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील निर्धारण अधिकारी श्री ..... स्थान ..... के अंतिम आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... के विरुद्ध अपील

1. अपीलार्थी

उपभोक्ता का पूर्ण पता  
एस.सी.क्र. सेवा की श्रेणी सहित

एवं

2. उत्तरदाता  
(नाम एवं पता)

- i- अनुज्ञप्तिधारी का नाम
- ii- निर्धारण अधिकारी

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के अंतर्गत अपील

जारी .....

**क्रमांक****विवरण**

1. अपीलार्थी का नाम
2. दूरभाष क्रमांक सहित पता
3. विद्युत संयोजन के स्थान का पता
4. संयोजन का उद्देश्य
5. सेवा संयोजन क्रमांक
6. टैरिफ श्रेणी
7. संयोजित भार
8. अंतरिम देयक की राशि
9. अंतिम बिल की राशि (जिसके संबंध में अपील की जाये) (अंतिम बिल की छायाप्रति संलग्न करें)
10. अपीलीय प्राधिकारी को शुल्क के भुगतान का विवरण
11. अंतिम बिल की राशि के एक तिहाई राशि के अनुज्ञप्तिधारी को किये गये भुगतान का विवरण (रसीद की छायाप्रति संलग्न करें)
12. अपील के संबंध में निर्धारक अधिकारी का नाम, पदनाम तथा पता
13. अपील के आधार (समर्थन में दस्तावेज यदि कोई हों, तो संलग्न करें)
14. यह प्रमाणित किया जाता है कि
- (ए) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 (5) के अनुसार अंतिम आदेश उभय पक्षों की सहमति से पारित नहीं किया गया है।
- (बी) अपील की विषय वस्तु किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं है।
15. प्रार्थना  
अतः प्रार्थना है कि .....

.....

अपीलार्थी का नाम व हस्ताक्षर

जारी .....

## सत्यापन

मैं ..... आत्मज..... आयु ..... वर्ष निवासी .  
..... शपथपूर्वक पुष्टि एवं घोषणा करता हूँ कि अपील ज्ञापन के  
कंडिका से ..... तक के कथन मेरे ज्ञान एवं विश्वास में सत्य हैं औ कंडिका ..... से .....  
..... तक उस सूचना पर आधारित हैं, जो मेरे विश्वास में सत्य है। अतः आज दिनांक .....  
..... को स्थान ..... में शपथपूर्वक पुष्टि करता हूँ कि अपरोक्त अपील  
के कथन मेरे ज्ञान में सत्य है एवं इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और कोई भी तात्विक तथ्य  
छुपाया नहीं गया है।

स्थान :-

दिनांक :-

**अपीलार्थी का नाम व हस्ताक्षर**

मेरे समक्ष पहचान की गई

(अधिकृत प्राधिकारी के समक्ष पुष्टि की जावे, जैसे नोटरी)

संलग्न दस्तावेजों की सूची :-

1. निर्धारक अधिकारी के अंतिम आदेश की सत्यप्रति/ छायाप्रति
2. अंतिम निर्धारित बिल की छायाप्रति
3. शुल्क जमा करने की रशीद की छायाप्रति अथवा उसका संदर्भ
4. अंतिम निर्धारित बिल का 1/3 भाग जमा करने के रशीद की छायाप्रति
5. ....
6. ....